



पत्रांक:- /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/वा०-1/

दिनांक: अगस्त,

2019

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा) उ०प्र० शासन, विद्युत सुरक्षा, निदेशक, विभूति खण्ड-2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, केस्को।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय: नये विद्युत संयोजनों को त्वरित गति से निर्गत किये जाने हेतु “संशोधित सुगम संयोजन योजना ” ।

दिनांक 08/07/2019 को मा० नियामक आयोग द्वारा जारी नवीन कास्ट डाटा बुक में संयोजन हेतु नयी दरें/नयी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

इस तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान में जारी कास्ट डाटा बुक के अनुसार “सुगम संयोजन योजना” में निम्नवत् संशोधित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :-

1. नये संयोजन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

उपभोक्ताओं को सहज रूप से अधिक से अधिक संयोजन दिये जाने के उद्देश्य से नये संयोजन के आवेदन हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:-

(क) पहचान प्रमाण पत्र के रूप में -

आधार कार्ड या आधार कार्ड की अनुपस्थिति में वोटर आई०डी०।

(ख) भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से किसी एक अभिलेख की आवश्यकता होगी।

भवन स्वामी के लिए-

- (i) भवन की रजिस्ट्री।
- (ii) कब्जा प्रमाण पत्र।
- (iii) कुटुम्ब रजिस्टर।
- (iv) सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान से परिसर के स्वामी का प्रमाण पत्र।
- (v) सरकारी आवास हेतु सरकार/विभाग का एलोटमेन्ट लेटर।

किरायेदार के लिए

परिसर के स्वामी का सहमति पत्र या किरायेदारी का प्रमाणपत्र।

(ग) यदि आवेदक के पास (ख) में उल्लिखित उपरोक्त कोई दस्तावेज नहीं है तो प्री-पेड मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाये।

(घ) 5 कि०वा० भार तक घरेलू बत्ती पंखा के संयोजन मात्र संलग्न बन्ध-पत्र पर निर्गत किये जा सकते हैं। बन्ध-पत्र की अनुपस्थिति में अनुज्ञापतिधारी स्वयं परिसर का निरीक्षण कर 7 दिनों में संयोजन निर्गत करेगा।

2. नये संयोजन निर्गत करने हेतु कनेक्शन चार्ज का किस्तों में प्राविधान :-

1. 5 कि०वा० भार तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत करने हेतु मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 08/07/2019 को जारी कास्ट डाटा बुक के अनुसार प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी एवं फिक्स लाइन चार्ज को सम्मिलित करते हुए Annexure- A and B (प्रति संलग्न) के अनुसार चार्जस लिये जायेंगे। उपभोक्ता को निर्गत होनेवाली Receipt पर प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी एवं फिक्स लाइन चार्ज स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होगा।
2. एक किलोवाट तक के घरेलू बत्ती पंखा के बी०पी०एल० उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी धनराशि देय नहीं है।
3. उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिंग चार्ज देय नहीं है।
4. उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा Armoured केबिल लगाकर संयोजन निर्गत किया जायेगा किन्तु यदि उपभोक्ता स्वयं BIS मानक की Armoured केबिल प्रदान करना चाहता है तो उसे स्वीकार किया जायेगा।
5. 5 कि०वा० भार तक के उपभोक्ताओं का कनेक्शन चार्ज 18 समान किस्तों में जमा करने की सुविधा मा० उ०प्र० नियामक आयोग द्वारा प्रदान की गयी है।

3. स्थापित एल० टी० मेन्स का विस्तारीकरण:-

मा० नियामक आयोग द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक दिनांक 08/07/2019 के आधार पर यदि दो उपभोक्ता संयोजन चार्ज का पूर्णतः भुगतान कर देते हैं तो निगम 40 मीटर तक एल०टी० लाइन बनाने का खर्च वहन करेगा परन्तु 40 मीटर एल०टी० लाइन के बाद सम्पूर्ण खर्च उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा (कास्ट डाटा बुक के पेज-13 के पैरा 11 के अनुसार)।

15 अदद आवेदकों तक एक साथ नये संयोजन हेतु आवेदन करने की दशा में विभागीय खर्च पर 3 उपभोक्ता प्रति खम्भे के आधार पर 5 खम्भे की एल०टी० लाइन का विस्तार कर नये संयोजन निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार नये संयोजन निर्गत करने हेतु परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि/नये परिवर्तक बिजनेस प्लान अथवा आंतरिक संसाधनों से लगाये जायेंगे आवेदकों से इसका चार्ज नहीं लिया जायेगा। स्पष्ट है कि 5 कि०वा० के घरेलू उपभोक्ता को संयोजन के समय दिये जाने वाली एस्टीमेट की प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है एवं इस हेतु तन्त्र के विकास का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ अपने संयोजन शुल्क को किस्तों में जमा करना होगा। यदि किसी परिसर को संयोजन देने में तकनीकी बाध्यता(टेक्निकल फीजिबिलिटी) की समस्या लग रही है तो ऐसी स्थिति में भी संयोजन सिर्फ अधीक्षण अभियन्ता के आदेश पर ही मना किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था मात्र स्थापित एल०टी० मेन्स के आस-पास के क्षेत्रों में संयोजनों के नियमितीकरण के उद्देश्य हेतु है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत मजरे एवं शहरी क्षेत्र के अविकसित कालोनियाँ उक्त व्यवस्था से आवृत्त नहीं होंगे।

4. नये संयोजन निर्गत करना:-

घरेलू बत्ती पंखा के संयोजन गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में कैम्प लगाकर आनलाइन निर्गत किये जायेंगे जिसकी कार्ययोजना निम्नवत् होगी :-

- (क) गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में नये संयोजनों हेतु कैम्प लगाने का दिन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (ख) निर्धारित दिवस पर कैम्प लगाने के 02 दिन पूर्व सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता अपने लाईन स्टॉफ के साथ पोषित क्षेत्रों में नये संयोजन हेतु आवश्यक प्रचार कराया जायेगा। जिसमें उपभोक्ताओं को वांछित अभिलेख की सूचना भी दी जायेगी।
- (ग) कैम्प में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का कार्य निविदा द्वारा चिन्हित एजेन्सियों के माध्यम से अवर अभियन्ता सुनिश्चित करेंगे। योजना के आरम्भ में यदि ऐसी एजेन्सियां चिन्हित ना हो पाई

- हो तो कैम्प के निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता स्वयं पर्याप्त मात्रा में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिससे संयोजन सरलता पूर्वक निर्गत किये जा सके।
- (घ) उपभोक्ता से आधार नं० व मोबाईल नं० भी एकत्र किये जायेंगे लेकिन यह शर्त संयोजन देने में बाधा नहीं मानी जायेगी।
- (ङ) संयोजन झटपट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये जायेगा।
- (च) कोई भी संयोजन निर्गत करने से मना नहीं किया जायेगा यदि अपरिहार्य स्थिति में मना किया जाता है तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर संयोजन मना करने का निर्णय लिया जायेगा।
- (छ) कैम्प मे निर्धारित तिथि पर प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक नये संयोजन देने का अभियान चलाया जायेगा। उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के उपखण्ड 7.7.2 के अनुरूप आवेदक द्वारा नये संयोजन के प्रभार जमा करने के तिथि से जहाँ खम्भा विद्यमान है वहाँ संयोजन 7 दिनों के भीतर एवं जहाँ खम्भे की अपेक्षा है वहाँ तीस दिन के भीतर संयोजन निर्गत किया जायेगा।
- (ज) अगले 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा कैम्प में निर्गत संयोजनों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण विवरण उपखण्ड अधिकारी को लेजरीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ता का प्रथम बिल निर्गत होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।
5. यदि विभाग द्वारा उपभोक्ता परिसर में Smart meter लगाया जाता है तो उस स्थिति में भी meter cost Annexure-A कॉलम संख्या-6 के अनुसार ही देय होंगे। कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं लगेगा।

संलग्नक:- यथोपरि

(ए०के०श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्र संख्या १७२^B/मु०अ०(वा०एवंऊ०ले०)/वा०-1/नये विद्युत संयोजन/तददिनांक ११४-२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त निदेशकगण, मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/पूर्वांचल-वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए०के०श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

New Service Connection Charges (Urban Consumer)

Load In KW	Cable Category	Cost of Cable (Av 40 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges upto 40 meter Cable Service Length(labour Charges)	Total charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter limit)	Initial Payment	Balance	Monthly Installment	No of Month
1	2	3	4	5	6	7	3+4+5+6+7	9	10	11	12
1 KW BPL Connection	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	10	NIL	872	150	1032	57	975	57	17
1 KW Other than BPL	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	50	300	872	150	1372	76	1296	76	17
1 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	50	300	872	150	3272	182	3090	182	17
2 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	800	872	150	1922	107	1815	107	17
2 KW	Armoured Cable provided by department (2*4 Sq.mm)	1900	100	800	872	150	3822	212	3610	212	17
3 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1200	872	398	2570	143	2427	143	17
3 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1200	872	398	4820	268	4552	268	17
4 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1600	872	398	2970	165	2805	165	17
4 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1600	872	398	5220	290	4930	290	17
5 KW	Armoured Cable provided by department (4*25 mm sq)	10650	100	2000	2921	2036	17707	984	16723	984	17
Note:	For Col no 3 Refer annexure-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 4 Refer chapter-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 5 Refer chapter-3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 6 Refer annexure 2 & 3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 7 Refer chapter 4 & 5 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 If Smart Meter is installed at consumer premises, meter cost will be charged from consumer, as quoted in Col no 6										
For any Discrepancy please refer to Cost data book											

New Service Connection Charges (Rural Consumer)

Load in KW	Cable Category	Cost of Cable (Av 40 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges upto 40 meter Cable Service Length(labour Charges)	Total charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter limit)	Initial Payment	Balance	Monthly Installment	No of Month
1	2	3	4	5	6	7	3+4+5+6+7	9	10	11	12
1 KW BPL Connection	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	10	NIL	872	150	1032	57	975	57	17
1 KW Other than BPL	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	50	100	872	150	1172	65	1107	65	17
1 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	50	100	872	150	3072	171	2901	171	17
2 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	200	872	150	1322	74	1248	74	17
2 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	100	200	872	150	3222	179	3043	179	17
3 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1200	872	398	2570	143	2427	143	17
3 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1200	872	398	4820	268	4552	268	17
4 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1600	872	398	2970	165	2805	165	17
4 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1600	872	398	5220	290	4930	290	17
5 KW	Armoured Cable provided by department (4*25 mm sq)	10650	100	2000	2921	2036	17707	984	16723	984	17
Note:	For Col no 3 Refer annexure-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 4 Refer chapter-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 5 Refer chapter-3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 6 Refer annexure 2 & 3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 For Col no 7 Refer chapter 4 & 5 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19 If Smart Meter is installed at consumer premises, meter cost will be charged from consumer, as quoted in Col no 6										
For any Discrepancy please refer to Cost data book											